

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज०)

पीठासीन अधिकारी-

श्री राजेश जोशी
आर.ए.एस.

मिसल संख्या:
17/प्रा०पत्र/2020

तारीख दायरा
18.02.2020

तारीख निर्णय
04.03.2020

बैंक ऑफ इण्डिया शाखा, बरुंधन जयें वरिष्ठ शाखा प्रबंधक, श्री राकेश कुमार
- प्रार्थी

उपस्थित :-

प्रार्थी की ओर से - श्री पदम कुमार जैन, अभिभाषक।

-: निर्णय :-

प्रार्थना पत्र प्रार्थी बैंक ऑफ इण्डिया शाखा, बरुंधन जरिये वरिष्ठ शाखा प्रबंधक, श्री राकेश कुमार ने जयें अभिभाषक श्री पदम कुमार जैन द्वारा दिनांक 05.02.2020 को पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रार्थी के अभिभाषक की बहस सुनी गई।

राजस्थान न्यायालय फीस एवं वाद मूल्यांकन अधिनियम 1961 की धारा 65(ख) राजस्थान कोर्ट फीस स्टाम्प वैल्यूएशन रूल्स 1961 के नियम 27(1) तथा राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.2(5) वित्त कर 03 दिनांक 24.06.2003 के अनुसार कोर्ट फीस स्टाम्प रिफण्ड के लिये श्रीमान् जिला कलक्टर, बून्दी के आदेश क्रमांक 646-649/रीडर/2018 दिनांक 12.04.2018 से अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी को अधिकृत किया गया है।

बहस अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि प्रार्थी ने अपर सेशन न्यायाधीश क्र.सं.-01, बून्दी में दीवान वाद सं.-25/2015 उनवान बैंक ऑफ इण्डिया बनाम रामपाल वगै. में लोक अदालत की भावना से जयें राजीनामा निर्णय हुआ है। जिसमें कोर्ट फीस वादी को वापिस लौटाये जाने के आदेश प्रदान किये गये है। अतः कोर्ट फीस स्टाम्प की राशि वापिस प्रार्थी को लौटाई जावे। इस संबंध में न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्र.सं.-01, बून्दी, ने प्रमाण पत्र सं.-791 दिनांक 23.12.2019 द्वारा जारी किया गया है। जिसमें प्रार्थी को कोर्ट फीस 34,734/- रूपये वापस लौटाये जाने का आदेश पारित हुआ है। अतः बैंक ऑफ इण्डिया शाखा, बरुंधन जरिये

अति० जिला कलक्टर
बून्दी (राज०)

वरिष्ठ शाखा प्रबंधक, श्री राकेश कुमार को कोर्ट फीस राशि 34734/- रूपये का भुगतान किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अभिभाषक प्रार्थी पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्र. सं.-01, बून्दी के पत्र सं. 791 दिनांक 23.12.2019 से प्रार्थी को न्याय शुल्क (कोर्ट फीस) राशि 34,734/- रूपये (अक्षरे-चौतीस हजार सात सौ चौतीस रूपये) लौटाने के आदेश दिये गये हैं। न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्र.सं.-01, बून्दी के आदेश की पालना में प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कोर्ट फीस स्टाम्प 5000/- रूपये के 06 नग, स्टाम्प नम्बर 135074 से 135079 तक, स्टाम्प 1000/-रूपये का 04 नग, स्टाम्प नम्बर 067511 से 067514, स्टाम्प 500/- रूपये का एक नग, स्टाम्प नम्बर-064369, स्टाम्प 100/- रूपये के दो नग स्टाम्प नम्बर 014854 से 014855, कोर्ट फीस टिकिट 20/- रूपये का एक, कोर्ट फीस टिकिट 5/- रूपये के दो एवं कोर्ट फीस टिकिट 2/- के दो कुल नग 18, कुल स्टाम्प राशि 34734/-रु० राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प. 2 (5) F.D./कर/03 दिनांक 24.06.2003 के अनुसार राजस्थान कोर्टफीस एण्ड सूट वेलूएशन रूल्स 1961 के नियम 27 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी को 34734/- रूपये राज्य सरकार के पत्रांक प. 2 (32) F.D./कर/06 दिनांक 07.03.2007 के अनुसार स्टाम्प रिफण्ड कटौती 6.25 प्रतिशत की दर से 2071/- रु० की कटौती करते हुये शेष राशि 32663/-रूपये (अक्षरे-बत्तीस हजार छः सौ तिरेसठ रूपये) का भुगतान प्रार्थी बैंक ऑफ इण्डिया शाखा, बरुंधन जरिये वरिष्ठ शाखा प्रबंधक, श्री राकेश कुमार को करने की स्वीकृति दी जाती है। प्रार्थी को भुगतान हेतु स्टाम्प एवं पत्रादि केशियर जिला कलेक्ट्रेट, बून्दी को भिजवावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया



(राजेश जोशी, R.A.S.)
अभिहित जिला कलेक्टर,
बून्दी (राज.)